

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपांकीट०अनु०-50/2007 (खण्ड-1)- 3315 /क०, पटना, दिनांक 04.07.2008
 प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
 कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री सतीश पारीक,
 मेसर्स धानुका एग्रीटेक लिमिटेड,
 214 इमारत फिरदौस, द्वितीय तल,
 एकजीविशन रोड, पटना।

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 171-172 दिनांक 04.07.2008 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों एवं उक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित स्वनिर्मित कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण हेतु पूर्व में निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या-171-172 दिनांक 04.07.2008 का विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता तिथि 31.12.2014 तक के लिए नवीकृत किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	2, 4-D sodium Technical 80% Min	18	Lambda Cyhalothrin 2.5% EC
2	2, 4-D Ethyl Ester 38% EC	19	Lambda Cyhalothrin 5% EC
3	Acephate 75% SP	20	Mancozeb 75% WP
4	Atrazine 50% WP	21	Metalaxyl 35% WS
5	Carbendazim 50% WP	22	Methyl Parathion 50% EC
6	Carboxin 37.5%+Thiam 37.5% WS	23	Methomyl 40% SP
7	Carboxin 75% WP	24	Pendimethalin 30% EC
8	Carbosulphan 25% EC	25	Pretilachlor 50% EC
9	Cartap Hydrochloride 4% GR	26	Profenofos 50% EC
10	Cartap Hydrochloride 50% SP	27	Paraquat Dichloride 24% SL
11	Chlorpyrifos 20% EC	28	Propargite 57% EC
12	Copper oxychloride 50% SP	29	Quinalphos 25% EC w/w
13	Diflubenzuron 25% WP	30	Sulfosulfuron 75% WG
14	Fenvalerate 0.4% DP	31	Sulphur 40% SC
15	Glyphosate 41%SL	32	Triacyclazole 75% WP
16	Hexaconazole 5% EC	33	Validamycin 3% L
17	Kasugamycin 3% SL	34	Propineb 70% WP

2-उपरोक्त कीटनाशियों का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:-मेसर्स धानुका एग्रीटेक लि०, द्वारा-श्री अनुप प्रसाद यादव, जकरियापुर बाईपास पटना।

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियमावली, 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

7-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता के अतिरिक्त राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9- कीटनाशी अनुज्ञप्ति संख्या-171-172 दिनांक 04.07.2008 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / -

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

/कृ0, पटना, दिनांक 15/07/2015

ज्ञापांक

3315

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

(13)

21-7-2015